


नंदा S/o दोगा खनाम ब्री S/o दोगा

पु.स. 1362/2015 online No. 21/65

दिनांक 06.09.2024

वकील उभयपक्षकारान उपस्थित । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुल वाद आदेश 07 नियम 11 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत खारिज हो जाने से प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पोषणीय नहीं रहता है । जिससे हस्तगत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा